

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित धारा की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित

विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"कुलपति का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

- (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;
- (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.	उपबंध का सं.	नये उपबंध का सं.
1	2	3	4	5
1	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946		धारा 12	धारा 12क
2	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 17	धारा 11	धारा 11क
3	मोहन लाल सुखाडि+या विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 18	धारा 11	धारा 11क
4	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 35	धारा 8	धारा 8क
5	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 38	धारा 19	धारा 19क
6	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 13	धारा 11	धारा 11क
7	कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 14	धारा 11	धारा 11क
8	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 27	धारा 11	धारा 11क
9	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 28	धारा 11	धारा 11क
10	पंडित दीनदयाल उपाध्याय	2012 का	धारा 11	धारा 11क

	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012	अधिनियम सं. 29		
11	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 31	धारा 11	धारा 11क

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति के पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हताओं और अनुभव के मुख्य उपबंध विश्वविद्यालयों की विधियों में 2017 में सम्मिलित किये जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में भी विनियम जारी किये हैं। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर को धारित करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को प्रभावी करने के लिए, इससे संबंधित उपबंध को सम्मिलित करना समुचित समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में कुलपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो विश्वविद्यालयों की विधियों में उसको हटाये जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, कुलपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भंवर सिंह भाटी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

12. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 17) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

मोहन लाल सुखाडि+या विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 35) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 14)
से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 27) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 28) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

**पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम,
2012 (2012 का अधिनियम सं. 29) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 31) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) से (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

THE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Universities' Laws (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "University Law" means a University Act specified in the Schedule; and
- (b) "Schedule" means the Schedule to this Act.

3. Amendment of Universities' Laws.- (i) The existing sub-section (2) of the section as mentioned in Column No. 4 against each of the Universities' Laws as mentioned in Column No. 2 of the Schedule, shall be substituted by the following namely:-

"(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment."; and

(ii) after the existing section as mentioned in Column No. 4 against each of the Universities' Laws as mentioned in Column No. 2 of the Schedule, new section as mentioned in Column No. 5 shall be inserted, namely:-

"Removal of Vice-Chancellor.- (1)

Notwithstanding anything contained in the Act, if at any time on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order."

SCHEDULE
(See section 3)

S. No.	Title	Act No.	No. of Provision	No. of New Provision
1	2	3	4	5
1	The University of Rajasthan Act, 1946		section 12	section 12 A
2	The Jai Narain Vyas University Act, 1962	Act No. 17 of 1962	section 11	section 11 A
3	The Mohan Lal Sukhadia University Act, 1962	Act No. 18 of 1962	section 11	section 11 A
4	The Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987	Act No. 35 of 1987	section 8	section 8 A
5	The Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987	Act No. 38 of 1987	section 19	section 19 A
6	The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003	Act No. 13 of 2003	section 11	section 11 A
7	The University of Kota Act, 2003	Act No. 14 of 2003	section 11	section 11 A
8	The Raj Rishi Bhartihari Matsya University, Alwar Act, 2012	Act No. 27 of 2012	section 11	section 11 A
9	The Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Act, 2012	Act No. 28 of 2012	section 11	section 11 A
10	The Pandit Deendyal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012	Act No. 29 of 2012	section 11	section 11 A
11	The Govind Guru Tribal University, Banswara Act, 2012	Act No. 31 of 2012	section 11	section 11 A

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The major provisions of minimum qualifications and experience determined by the University Grants Commission for the post of Vice-Chancellor have been incorporated in the Universities' Laws in 2017.

The University Grants Commission has also issued regulations in 2018. In order to give effect to clause 7.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 regarding possession of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment by a person to be appointed as Vice-Chancellor, it is considered appropriate to incorporate the provision relating thereto. Moreover, there is no provision for removal of Vice-Chancellor in the Universities' Laws if any unprecedented condition warrants it before the end of his tenure. Therefore, provision relating to removal of Vice-Chancellor is also required to be included. Accordingly, the Universities' Laws are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भंवर सिंह भाटी,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE UNIVERSITY OF
RAJASTHAN ACT, 1946**

XX XX XX XX XX XX XX

12. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE JAI NARAIN VYAS
UNIVERSITY ACT, 1962**

(Act No. 17 of 1962)

XX XX XX XX XX XX XX

11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE MOHAN LAL
SUKHADIA UNIVERSITY ACT, 1962**

(Act No. 18 of 1962)

XX XX XX XX XX XX XX

11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a

minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE VARDHMAN
MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA ACT, 1987
(Act No. 35 of 1987)**

XX XX XX XX XX XX XX

8. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARSHI DAYANAND
SARASWATI UNIVERSITY ACT, 1987
(ACT No. 38 of 1987)**

XX XX XX XX XX XX XX

19. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARAJA GANGA
SINGH UNIVERSITY, BIKANER ACT, 2003**

(Act No. 13 of 2003)

XX XX XX XX XX XX XX
11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE UNIVERSITY OF KOTA
ACT, 2003**

(Act No. 14 of 2003)

XX XX XX XX XX XX XX
11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJ RISHI
BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR ACT,
2012**

(Act No. 27 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX
11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARAJA SURAJMAL
 BRIJ UNIVERSITY, BHARATPUR ACT, 2012**

(Act No. 28 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX
11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE PANDIT DEENDAYAL
 UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR ACT,
 2012**

(Act No. 29 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX
11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE GOVIND GURU TRIBAL
UNIVERSITY, BANSWARA ACT, 2012**

(Act No. 31 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX

11. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (19) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(भंवर सिंह भाटी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 16 of 2019

THE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Bhanwar Singh Bhati, **Minister-Incharge**)